अध्याय-16
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण

16.1 सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप श्रम मंत्रालय ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लाभार्थ कई विशिष्ट स्कीमें तैयार की हैं, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिके सदस्यों को विभिन्न लाभ उपलब्ध कराती हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशिष्ट स्कीमें

- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र
- विशेष अनुशिक्षण स्कीम
- श्रमिक कल्याण कोष/स्कीम
- बंधुआ मजदूर पुनर्वास
- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अध्ययन

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनुशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केन्द्र

16.2 इस योजना का आरंभ चार केन्द्रों पर प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1969-70 में हुआ। योजना की सफलता को देखते हुए यह 18 अन्य राज्यों में शुरू की गई । वर्तमान में 22 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लगभग 22 अनुशिक्षण सह-मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं। (इनमें जोवाई केन्द्र को पूरी तरह कार्यान्वित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है) । ये केन्द्र पुराने मामले की समीक्षा सहित अनुसूचित जाति/जनजातियों से संबंधित रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के लाभ हेतु व्यावसायिक सूचनाएं तथा वैयक्तिक मार्ग-दर्शन आदि की सुविधा प्रदान करते हैं तथा आत्मविश्वास निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते हैं । आवेदकों को रोजगार केन्द्रों में पंजीकरण के समय तथा अधिसूचित रिक्तियों के लिए प्रायोजित किए जाते समय मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है । ये केन्द्र अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की रिक्तियों को भरने में नियोक्ताओं का भी अनुवर्तन करते हैं ।

16.3 इसके अलावा इन केन्द्रों में से 13 केन्द्र टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करते हैं । जनवरी, 2006 से अगस्त, 2006 के दौरान अनुशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा किए गए विभिन्न कार्य नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

कार्यकलाप	**सम्मिलित उम्मीदवारों की संख्या**
• पंजीकरण मार्गदर्शन	19603
• प्रस्तुतिपूर्व(प्री-सबमिशन) मार्गदर्शन	845
• आत्मविश्वास निर्माण कार्यक्रम	14460
• टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण	7356
• भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण	1518

विशेष अनुशिक्षण योजना

16.4 केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की आरक्षित रिक्तियों में उनकी भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने उनके लिए "विशेष अनुशिक्षण योजना" नामक दूसरी योजना प्रारम्भ की है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को समूह "ग" पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग तथा अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने में समर्थ बनाया जा सके। यह योजना

दिल्ली तथा गाजियाबाद में वर्ष 1973 में प्रायोगिक रूप में आरंभ की गई थी । अब तक इस योजना के 23 चरण पूरे हो गये हैं और 24 वां चरण 1.7. 2006 से प्रगति पर है।

16.5 उपयुक्त योजना की सफलता को देखते हुए इसका वर्ष 1992 से बंगलौर, कोलकाता, हैदराबाद, रांची, सूरत और कानपुर स्थित केन्द्रों के माध्यम से 12 और स्थानों पर इसका विस्तार किया गया है । इन केन्द्रों पर 11 चरण पूरे हो चुके हैं तथा 1.7.2006 से 12वां चरण प्रगति पर है तथा वर्ष 1999 से चैन्नई, गुवाहाटी, इम्फाल, हिसार, जबलपुर और तिरूवनंतपुरम के केन्द्रों में आगे इसका विस्तार किया गया है और अब तक जुलाई, 2006 से यह योजना बेरहामपुर में भी विस्तारित की गई है तथा इसका समन्वयन अनुसूचित जाति तथा जनजाति अनुशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर (उडीसा) के माध्यम से किया जाता है । अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 9944 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक अनुशिक्षण पूरा किया है ।

नई स्कीम की शुरुआत

16.6 यह स्कीम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पढ़े लिखे नौकरी चाहने वालों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण सुविधाओं के आउट सोर्सिंग के माध्यम से फरवरी, 2004 से आरम्भ की गई है । बैंगलूर, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवहाटी, हिसार, हैदराबाद, जयपुर, जबलपुर, कोलकाता, नागपुर, सूरत, कानपुर तथा तिरूवन्तंपुरम में 6 माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इन जगहों पर अवस्थित संबंधित अनुशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से इनका समन्वय किया जाता है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-2005 के दौरान 467 अभ्यर्थियों को तथा वर्ष 2005-2006 के दौरान 518 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। दिनांक 01.08.2006 से योजना के तीसरे चरण पर कार्य चल रहा है । वर्ष 2006-2007 के दौरान 672 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु नामांकन किया गया है ।

श्रमिक कल्याण कोष/योजनाएं

16.7 संसदीय अधिनियमों के द्वारा सृजित पांच श्रमिक कल्याण निधियां नामत: माइका खान श्रमिक कल्याण निधि, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि के अंतर्गत माइका खानों, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान, सिने तथा बीड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा में लगे कामगारों को चिकित्सा, आवास, शिक्षा, मनोरंजन, जलापूर्ति तथा परिवार कल्याण सुविधायें उपलब्ध कराने वाली कतिपय योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । (विकलांग व्यक्तियों) के बारे में बजट/व्यय/लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या संबंधी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते ।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

16.8 भारत में ऋण दासता प्रणाली कतिपय श्रेणियों की ऋणग्रस्तता के कारण है जिसमें कतिपय आर्थिक रूप से शोषित, असहाय तथा समाज के कमजोर तबके शामिल हैं । यह प्रणाली असमान सामाजिक संरक्षण के कारण शुरू हुई जिसका कारण भूमि और परिसंपत्तियों का असमान वितरण था। ऐसा देखा गया है कि चिह्नित और मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों में से अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के हैं।

16.9 मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के उद्देश्य से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के 50:50 आधार पर केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को मई 1978 से शुरू किया । समय-समय पर स्कीम में बहुत से गुणात्मक परिवर्तन

किए गए हैं और इसे उत्तरोत्तर उदार बनाया गया है । पुर्नवास सहायता को मई, 2000 से प्रति बंधुआ मजदूर बढ़ाकर 20,000/- रुपए कर दिया गया है और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में, 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 2005-06 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता के रुप में 78.18 लाख रु. की राशि व्यय की गयी थी। इसी अवधि में 397 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गयी और उनका पुनर्वास किया गया । राज्यों को जागरूकता सृजन, सर्वेक्षण और बंधुआ श्रम की पहचान के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 2,66,738 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास किया जा चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग 1991 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान किए गए बंधुआ श्रमिकों में से 86.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति से हैं, अतः योजनाओं के लाभ इसी अनुपात में बंधुआ श्रमिकों की इन श्रेणियों को मिल रहा है।

16.10 स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को विस्तृत मार्गदर्शन जारी किए गए हैं । इस बात पर बल दिया गया है कि पुनर्वास प्रक्रिया के दो घटक होने चाहिए (i) मनोवैज्ञानिक पुनर्वास (ii) भौतिक और आर्थिक पुनर्वास। जहां तक मनोवैज्ञनिक पुनर्वास का संबंध है, मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को, जो कि प्रभुत्व और दासता के समाज के आदी हो गए हैं, यह विश्वास दिलाना होगा कि वह दूसरे मानवों की तरह अपनी आर्थिक आजीविका और अच्छा जीवन-निर्वाह करने के लिए हकदार है। आर्थिक पुनर्वास के संबंध में बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए स्कीम का चयन बंधुआ मजदूरों की पसंद को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि केन्द्र प्रायोजित बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना को स्वर्ण जयंती सेवा रोजगार योजना अनुसूचित जाति संबंधी विशिष्ट घटक योजना, अनुसूचित जनजाति उप योजना आदि जैसी चालू गरीबी उन्मूलन संबंधी अन्य योजनाओं के साथ समेकित कर दिया जाए/जोड़ दिया जाए ताकि बंधुआ श्रमिकों के अर्थपूर्ण पुनर्वास के लिए संसाधन जुटाए जा सकें।

सर्वेक्षण एवं शोध अध्ययन

16.11 श्रम ब्यूरो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों के लिए दो प्रकार के अध्ययन करता है अर्थात (i) शहरी क्षेत्रों में झाडू -बुहारी, खाल उतारने तथा चर्मशोधन, हड्डी पिसाई तथा जूते बनाने जैसे अस्वच्छता वाले कार्यो के चार समूहों से जुड़े अनुसूचित जाति के श्रमिकों की कामकाजी तथा रहन-सहन दशाएं, और (ii) औद्योगिक शहरों के चुने हुए केन्द्रों में अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाएं। ब्यूरो ने अब तक 9 अनुसूचित जाति केन्द्रों तथा 7 अनुसूचित जनजाति केन्द्रों का सर्वेक्षण किया है। इन सभी सर्वेक्षणों पर रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। जयपुर (अनुसूचित जाति) केन्द्र संबंधी रिपोर्ट अनुसूचित जाति सर्वेक्षणों की श्रृंखला में नवीनतम है। तथा इसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वच्छता व्यवसायों को भी कवर किया गया है । अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कामगारों से संबंधित सर्वेक्षण का निर्धारण करने वाली अंतरविभागीय निर्देशन समिति का विचार है कि पूर्व परम्परा के अनुसार विशिष्ट क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण में सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल किया जाए। सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल किए जाने से अनुसूचित जनजाति के बारे में व्यापक रूप से स्थिति की जानकारी मिलेगी । तदनुसार, वलसाड, नवसारी, वापी और पारडी जैसे अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में मुख्य सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया गया है तथा इसके दिसम्बर, 2006 तक पूरा होने की संभावना है । वर्ष 2006-2007 के दौरान श्रम ब्यूरो में नियुक्त विकलांग व्यक्तियों की संख्या **तालिका 16.1** में दी गई है ।

श्रम मंत्रालय में आरक्षण

16.12 श्रम मंत्रालय में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़ों को **तालिका 16.2** में दर्शाया गया है ।

16.13 उपर्युक्त के अनुसार, श्रम मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रोजगार का कुल प्रतिशत क्रमशः 15.00% एवं 7.49% है।

16.14 भारत सरकार ने उनके अंतर्गत सिविल पदों एवं सेवाओं में व्यक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के संबंध में दिनांक 8 सितम्बर, 1993 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसके अध्यधीन क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाएगा।

16.15 "विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995" की अपेक्षा के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित रखे गए हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए कुल मंजूर पदों और उनके द्वारा धारित पदों की संख्या से संबंधित आंकड़ों को **तालिका 16.3** में दर्शाया गया है ।

16.16 सरकार की आरक्षण नीतियों/अनुदेशों के अनुसार उचित आरक्षण रोस्टर बनाए रखने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रानय के अंतर्गत प्रशासनिक प्राधिकारियों/सम्बद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्त संगठनों के सम्पर्क अधिकारियों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार की आरक्षण नीतियों पर पुनर्अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई । इस उददेश्य से दिनांक 28-29 सितम्बर, 2006 को वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोयडा मे आई एस टी एम के फैकल्टी के 25 अधिकारियों की सहायता से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया ।

*****

तालिका 16.1

क्रम सं.	समूह/वर्ष	स्वीकृत क्षमता	भरी गई रिक्तियों की संख्या	नियुक्त विकलांग व्यक्तियों की संख्या (3%)
1.4.2005 से 31.3.2006 तक				
01.	**क**	**45**	**आई ई एस/आई एस एस/श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नियंत्रित**	
02.	**ख**	**78**	**-**	**-**
03.	**ग**	**304**	**03**	**-**
04.	**घ**	**56**	**-**	**-**
01.04.2005 से 31.10.2006 तक				
01.	**क**	**43**	**आई ए एस/आई एस एस/श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नियंत्रित**	
02.	**ख**	**75**	**-**	**-**
03.	**ग**	**302**	**-**	**-**
04.	**घ**	**56**	**-**	**-**

तालिका 16.2

श्रम मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

कर्मचारियों की श्रेणी	कार्यरत स्टाफ	आरक्षण के आधार पर पद		अवस्थित		बेसी (+) कमी (-)	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
समूह "क" *	881	132	66	155	55	+23	-11
समूह "ख"	1119	168	84	149	52	-19	-32
समूह "ग"	3632	545	272	752	272	+207	0
समूह " घ"	2118	318	159	782	207	+464	+48
कुल	**7750**	**1163**	**581**	**1838**	**586**	**+675**	**+5**

*** आरक्षण समूह 'क' के निचले स्तर पर लागू होता है।**

तालिका-16.3

कर्मचारियों की श्रेणी	**संस्वीकृत पदों की सख्या**	**विकलांग व्यक्तियों द्वारा धारित पदों की संख्या**
समूह "क"	658	03
समूह "ख"	1091	11
समूह "ग"	3990	78
समूह "घ"	2067	53

*****